कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर (मध्य प्रदेश)

निविदा आमंत्रण सूचना

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर की रिट पिटीशन कं. 9766/2012 होप टेक्सटाईल व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के पालन में गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 01/11/2023 की अनुशंसा अनुसार जिला न्यायालय परिसर, इंदौर (म.प्र.) से संलग्न होप मिल प्रांगण की 4.93 एकड़ भूमि में लंबित याचिका के आगामी आदेश पर्यन्त अथवा अन्य आदेश तक पक्षकारगण के वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु प्रायवेट एजेंसीज/फर्म/उम्मीदवार से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। निविदाकर्ता इस निविदा हेतु अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क 500/– (पांच सौ रूपये) का डीडी/चालान जमा करेंगे। सभी निविदाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय की वेबसाईट के माध्यम से अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा आवेदनपत्र दिनांक 25.11.2026 को सायंकाल 05:00 बजे तक जिला न्यायालय इंदौर के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 26.11.2026 को सायंकाल 04:30 बजे निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेंगी एवं प्री विड मीटिंग दिनांक 12.11.2026 को सायंकाल 04:30 बजे जिला न्यायालय इंदौर के वी.सी. कक्ष में रखी जायेगी। निविदा की शर्तें, आवेदन फार्म एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय इंदौर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/indore पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर (मध्य प्रदेश)

वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा फॉर्म

निविदाकर्ता का नाम :

पता :

.....

मोबाईल नं. :

आधार कार्ड नं. :

पेन कार्ड नं. :

उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो :

संस्था का रजिस्ट्रेशन यदि हो तो :

जीएसटी प्रमाण पत्र यदि हो तो :

वाहन स्टेण्ड हेतु निविदाकर्ता द्वारा अपनी ओर से लगाई गई वार्षिक बोली राशि (अंको एवं शब्दों में) :

.....

.....

(उक्त बोली की राशि न्यूनतम रूपये 1320000/–से कम नहीं होनी चाहिये)

आवश्यक शर्तें

1– निविदा सीलबंद लिफाफे में निर्धारित समय में जमा की जावेगी।

2– साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगाः–

1. साईकिल	– 5 रू.
2. स्कूटर/दो पहिया वाहन	– 10 रू. (4 घण्टे के लिए)
स्कूटर/दो पहिया वाहन	– 20 रू. (8 घण्टे के लिए)
3. तीन पहिया/चार पहिया वाहन	– 30 रू. (4 घण्टे के लिए)
तीन पहिया/चार पहिया वाहन	– 50 रू. (8 घण्टे के लिए)

3– अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) रूपये 2,00,000/– (दो लाख) की एफडीआर/डीडी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के नाम से निविदा के साथ मूलतः जमा करना होगी। जिस निविदाकर्ता की निविदा निरस्त होगी, उसकी उक्त अमानत राशि लौटा दी जायेगी।

4– वाहन सुरक्षा में चूक होने, वाहन नष्ट होने अथवा वाहन में नुकसान होने/चोरी होने पर निविदाकर्ता विधि अनुसार कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा।

5– प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश, इंदौर उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होगें।

6– प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रकम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

7– वार्षिक अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर निविदा की अमानत राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

8– वाहन स्टेण्ड का ठेका अनुबंध स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष के लिए किया जावेगा।

9– वाहन स्टेण्ड की न्यूनतम वार्षिक शुल्क राशि 13,20,000/–(रूपये तेरह लाख बीस हजार मात्र) रूपये निर्धारित की गई है। उससे कम की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10– जिस निविदाकर्ता द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क सम्पूर्ण निविदाकर्ताओं से अधिक दर्शाया जायेगा एवं समस्त शर्ते स्वीकार होंगी, उसकी निविदा पर सर्वप्रथम विचार किया जावेगा। निविदा स्वीकार होने पर 50 प्रतिशत राशि तत्काल एवं 50 प्रतिशत राशि 6

माह पूर्ण होने के पूर्व तक डीडी/चेक के माध्यम से एक मुश्त जमा की जावेगी। राशि अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासन हित में राजसात की जावेगी।

11– निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड परिसर में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

12– निविदाकर्ता द्वारा ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।

13– वाहन स्टेण्ड पर किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में निविदाकर्ता के संलिप्त पाये जाने पर ठेका तत्काल निरस्त किया जावेगा एवं जमा अमानत/अनुज्ञा राशि राजसात कर ली जावेगी।

14– निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टैण्ड पर साफ–सफाई रखी जावेगी एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक रूप से सीसीटीव्ही कैमरे स्वयं के व्यय पर लगाये जायेगें, जिसके रख–रखाव का व्यय भी निविदाकर्ता ही वहन करेगा।

15– निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्थल पर वाहनों के निर्धारित पार्किंग शुल्क सूची का पठनीय बोर्ड बनवाया जाकर स्वयं के व्यय पर लगाया जावेगा एवं पक्षकारगण को वाहन पार्किंग किए जाने के संबंध में प्रिंटेड़ रसीद या टोकन प्रदान किया जावेगा, जिसमें वाहन का पार्किंग शुल्क, आने एवं जाने का समय एवं वाहन क्रमांक अंकित होना, अनिवार्य होगा।

16– निविदाकर्ता को उक्त ठेका अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष के लिये मान्य होगा एवं अनुबंध आपसी समझौते पर एवं निविदाकर्ता के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन संशोधित दरों/उन्हें पूर्व वर्ष में निर्धारित दरों पर आगामी 02 और वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध अवधि समाप्त होने पर नवीन अनुबंध की कार्यवाही होने तक अधिकतम तीन माह तक निविदाकर्ता को पूर्व प्रीमियम राशि पर वाहन स्टेण्ड का संचालन करना होगा।

17– अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी किंतु माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन कं. 9766/2012 होप टेक्सटाईल व अन्य विरूद्ध म. प्र. शासन में पारित आगामी आदेशों के पालन में या अन्यथा आदेश के अध्ययधीन अनुबंध की अवधि/शर्तों में संशोधन किया जा सकेगा।

18– सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि अनुबंध समाप्ति के उपरांत वापस कर दी जावेगी जिसमें डिमांड ड्राफ्ट की समयावधि पूर्ण होने पर उसके नवीनीकरण की जवाबदारी सफल निविदाकर्ता की होगी।

19– सफल निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थान पर वाहन स्टेण्ड का संचालन कार्य न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 09.00 बजे से सायः 06.00 बजे एवं इसके पूर्व तथा पश्चात भी किया जा सकेगा।

कंडिका क्रमांक 2 में अभिलिखित अवधि के उपरांत पार्किंग स्थल पर खड़े दो पहिया वाहनों के संबंध में प्रति 4 घण्टे की अवधि हेतु अतिरिक्त 10/– रूपये एवं चार पहिया वाहनों के संबंध में प्रति चार घण्टे की अवधि हेतु अतिरिक्त 20/– रूपये निर्धारित शुल्क निविदाकर्ता द्वारा लिया जावेगा। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के निर्देशानुसार समय–समय पर निविदाकर्ता द्वारा कार्य किया जावेगा।

20– निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड के संचालन का पंजीयन एवं आवश्यक प्रमाणपत्र नगर पालिक निगम इंदौर तथा आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्राप्त कर निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य होगा।

21– सफल निविदाकर्ता पार्किंग स्थान में किसी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नहीं करेंगे इसके अतिरिक्त वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे भूमि अथवा प्रांगण को किसी प्रकार की क्षति कारित हो।

22– सफल निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्थान में न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण के वाहन पार्किंग हेतु पृथक–पृथक स्थान चिन्हित किया जाकर निर्धारित स्थान पर वाहन पार्क कराए जावेंगे, इस हेतु आवश्यक आंशिक अस्थायी निर्माण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकेगा।

23– सफल निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान प्रतिदिन पार्किंग स्थल पर आने वाले वाहनों की एंट्री हेतु पृथक से रजिस्टर अथवा कंप्यूटर में ई–डाटा के रूप में जानकारी संधारित की जावेगी, जिसमें पार्किंग स्थल में प्रवेश एवं निकासी के वाहन नंबरों पर समस्त ब्यौरा समय सहित निविदाकर्ता द्वारा संधारित किया जावेगा।

24– सफल निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्थान पर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को रखा जावेगा एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों का पार्किंग स्थल पर रखा जाना मान्य नहीं होगा।

25– सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदा अवधि के मध्य में कार्य बंद करने अथवा छोड़े जाने की स्थिति में संपूर्ण अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

26– जिला न्यायालय इंदौर के न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय अभिभाषक, समस्त अभिभाषकगण से निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्थान पर वाहन रखे जाने हेतु कोई वाहन शुल्क वसूलनीय नहीं होगा, इन सभी के लिए पास जारी करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की रहेगी। निविदाकर्ता द्वारा वाहन शुल्क केवल पार्किंग स्थान में प्रवेश करने वाले पक्षकारगण व न्यायालय में उपस्थित होने वाले अन्य व्यक्तियों से उपरोक्त निर्धारित दरों पर लिया जावेगा।

27— निविदा फार्म जिला न्यायालय इंदौर में कार्यालयीन समय पर दिनांक 25.11.2026 अथवा इसके पूर्व रूपये 500/— (पांच सौ रूपये) डीडी/चालान (हेड 0070—01—800—0000 न्याय प्रशासन अन्य प्राप्तियां) से जमा कर उसकी रसीद के साथ जिला न्यायालय इंदौर के कार्यालय में स्वयं उपस्थित अथवा डाक के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 26.11.2026 को निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में सायंकाल 4.30 बजे जिला न्यायालय इंदौर में गठित पार्किंग समिति के समक्ष खोली जावेंगी एवं प्री विड मीटिंग 12.11.2026 को सायंकाल 4.30 बजे जिला न्यायालय इंदौर के वी0सी0 कक्ष में रखी जाएगी। निविदा आवेदन फार्म, शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय इंदौर की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/indore पर भी उपलब्ध है, वहां सें भी डाउनलोड़ की जा सकती है ।

28— निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय इंदौर से उनके दूरभाष नं. 9826602840 पर संपर्क किया जा सकता है।

31/10/26

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम